सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी—अलवर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— दर्ज तिथिः—12.06.2023

1. मंगल पुत्र घीसा जाति मीना ग्राम राजपुराजागीर तहसील थानागाजी जिला अलवर
.... प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय जिला अलवर राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर
3. बद्री पुत्र सेढिया जाति ब्राहमण निवासी राजपुराजागीर तहसील थानागाजी

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित जरिये
प्रार्थीः—श्री एम.आर. मीना ।
अप्रार्थीः— देवीसहाय शर्मा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

दिनांक 11.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी 296/0.29 है0 वाके ग्राम राजपुराजागीर में पहुँच के प्रयोजन के लिए वर्तमान में कोई रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी को रिकॉर्डेड रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को हाल खसरा संख्या 297 में से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक 30 फीट चौडाई का रास्ता कृषि कार्य हेतु दर्ज रिकॉर्ड किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 03 द्वारा असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 287 वाके ग्राम राजपुरा जागीर मौके पर बने सी.सी रोड से होकर अन्य आराजी से होते हुये अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 292 वाके ग्राम राजपुरा जागीर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

भी सीसी रोड बना हुआ है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 240 वाके ग्राम राजपुरा जागीर पर बने सीसी रोड से प्रार्थी की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 288, से हाल खसरा संख्या 289 से हाल खसरा संख्या 285 से हाल खसरा संख्या 296 तक पहुंच मार्ग है। इसके अतिरिक्त हाल आराजी खसरा संख्या 324, 318, 315, 292 वाके ग्राम राजपुरा जागीर पर मौके पर सडक बनी हुई है जो कि प्रार्थी की आबादी खसरा संख्या 291 से लगती हुई है। इस रास्ते से भी प्रार्थी आमद—रफत करता है। इस प्रकार प्रार्थी जबरदस्ती अप्रार्थी के खेत से होकर रास्ता कायम करना चाहता है। अप्रार्थी द्वारा अपनी आराजी खसरा संख्या 297, 304 व 307 मौके पर मिलाकर एक चक बनाया हुआ है। अगर अप्रार्थी की खातेदारी आराजी 297 में से रास्ता दिया गया तो एक चक के दो टुकडे हो जायेंगे। अंत में प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक मांग नही होकर केवल सुविधा के लिए नया रास्ता कायम करने की गलत मंसा के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र खारीज फरमाये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 21.06.2023 को मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की। जो कि शामिल मिसल की गई।

4. प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी को हाल खसरा संख्या 297 में से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 296 / 0.29 है0 वाके ग्राम राजपुराजागीर तक 30 फीट चौडाई का रास्ता कृषि कार्य हेतु दर्ज रिकॉर्ड किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह जवाब प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक मांग नही होकर केवल सुविधा के लिए नया रास्ता कायम करने की गलत मंसा के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र खारीज फरमाये जाने का निवेदन किया।

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है—

> ***धारा 251—क— अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना***—*(1) जहॉ*
> *(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या*
> *(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है—*
> *और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो ***लघुत्तम या निकटतम रूट*** *से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।*

(1) जहॉ—उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

***70. Determination of compensation.** - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251—क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद—रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है—

1. *खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी को नवीन मार्ग [illegible] की प्रस्ताव।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा उभय पक्षकारान की पूर्व सूचित उपस्थिति में मौका देखा गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या—1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 21.06.2023 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। साथ ही स्वयं पीठासीन अधिकारी के द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के अनुसार प्रार्थी की आराजी तक पहुॅचने हेतु रिकॉर्ड में दर्ज पहुॅच रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण वर्तमान में हाल आराजी ख.सं. 315 से होकर खसरा संख्या 292 से होकर खसरा संख्या 291 से होकर खसरा संख्या 295 से होकर अपनी खातेदारी आराजी 296 में मौके पर चालू लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही वाले रास्ते से आते—जाते है। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता की अनुपलब्धता तथा रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने के आधार पर शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात इस बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट/मार्ग से होकर कितनी चौडाई का रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 21.06.2023 प्रार्थी द्वारा आवेदित मार्ग के अतिरिक्त मौके पर कोई लघुत्तम मार्ग उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी द्वारा कई वैकल्पिक मार्ग सुझाये। मौका निरीक्षण के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा सभी वैकल्पिक मार्गो के सन्दर्भ में परीक्षण किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपनी आराजी खसरा संख्या 297, 304 व 307 मौके पर मिलाकर एक चक को रास्ता दिये जाने से एक चक के तोडे जाने से प्रार्थी की आराजी को होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखा गया। उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये द्वारापुर—थानागाजी सडक से तरफ पश्चिम की ओर चलकर थोडा से घुमाव देते हुए अप्रार्थी की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 297 की दक्षिणी डोल से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 296 तक रास्ता कायम किया जा सकता है। उक्त लघुत्तम रास्ते विकल्प से अप्रार्थी द्वारा बनाये गये चक के दो टुकडे होने से बचते हुये लघुत्तम मार्ग का नवीन रास्ता कायम किया जा सकता है।

9. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं दिनांक 21.06.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी की आराजी तक रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता से पहुॅच नही होने तथा द्वारापुर—थानागाजी सडक से तरफ पश्चिम की ओर चलकर थोडा से घुमाव देते हुए अप्रार्थी की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 297 की दक्षिणी डोल से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 296 तक नवीन रास्ता लघुतम मार्ग होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—251—क काबिल—ऐ स्वीकार है। अतः द्वारापुर—थानागाजी सडक से तरफ पश्चिम की ओर चलकर थोडा से घुमाव देते

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

हुए अप्रार्थी की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 297 की दक्षिणी डोल से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 296 तक नवीन लघुत्तम मार्ग 15 फुट चौडाई का गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण के पश्चात प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते की अनुपलब्धता के निष्कर्ष के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते है कि द्वारापुर—थानागाजी सडक से तरफ पश्चिम की ओर चलकर थोडा से घुमाव देते हुए अप्रार्थी की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 297 की दक्षिणी डोल से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 296 तक नवीन लघुत्तम मार्ग 15 फुट चौडाई के रास्ते में आयी भूमि की एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम—70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वितरित करते हुये नियमानुसार रास्ते को खाता संख्या—1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 21.06.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

अगर उक्त रास्ते के पेटे आई भूमिएवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि को लेकर उभय पक्षकारो के मध्य सहमति हो तो मुताबिक सहमति मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण अप्रार्थीगणों को करना सुनिश्चित करे। अगर उक्त रास्ते के पेटे आई भूमिएवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि को लेकर उभय पक्षकारो के मध्य सहमति नहीं हो तो, तहसीलदार थानागाजी दिनांक 31.07.2023 तक उक्त रास्ते के पेटे आई भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, के एवज में मुआवजा राशि आंकलित कर अप्रार्थीगण को सूचित करते हुये प्रार्थीगण को उक्त मुआवजा राशि जमा कराने हेतु सूचित करे। प्रार्थीगण दिनांक 07.08.2023 से पूर्व तहसीलदार थानागाजी द्वारा आंकलित राशि नियमानुसार जमा करावे तथा अप्रार्थीगण दिनांक 07.08.2023 तक अपनी मुआवजा राशि प्राप्त करे। दिनांक 07.08.2023 के पश्चात तहसीलदार थानागाजी प्रार्थीगण के नियमानुसार मुआवजा राशि नियत तिथि तक जमा कराने तथा अप्रार्थीगण द्वारा नियत तिथि तक मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने की स्थिति में मुआवजा राशि को निर्धारित मद में जमा करते हुये उक्त रास्ते के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर मौके पर उक्त रास्ते को चालू कराना सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार थानागाजी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 11.07.2023 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.31 11:17:57 IST
Reason: SelfAttested